

05/01/18

पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण अनु०
न्यायालय समय में वकील वादीगण को
कठ-कठ कर तीन बार जवाब लगाई,
लेकिन कोई उप० नहीं, अतः वादीगण का
वाद अदालत द्वारा अदालत फरवी में खारीज
किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार
है और वाकिल फरार है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहान